Rules & Regulation

छात्र/छात्राओं के लिए आचार संहिता

1. सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगां।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेंगे।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निःव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।
8. विद्यार्थियों को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों , कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

2. अध्ययन संबंधी नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह N.S.S./Y.R.C में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन के संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
6. प्रयोगशाला में नायलोन के वस्त्र पहनकर न जाएँ।

3. परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, तैमासिक, अर्धवार्षिक एवं प्री फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थता के कारण आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र/छात्रा किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र/छात्रा रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास अथवा पॉच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

ग्रंथालय नियम –

पुस्तकालय में लगभग 4000 पुस्तकें उपलब्ध है एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार और भी पुस्तकें खरीदनें का प्रावधान है।

1. रविवार और अन्य अवकाश के दिवसों में ग्रन्थालय बन्द रहेगा।
2. समय–समय पर ग्रंथालय की सूचना और ज्ञापन द्वारा पुस्तकें प्राप्त करने की तिथि और समय ज्ञापित होता रहेगा।
3. पुस्तक किसी भी शर्त में एक विद्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति या विद्यार्थी को नहीं दे सकता है।
4. निर्धारित तिथि को पुस्तके ग्रंथालय में न लौटाने पर आर्थिक दण्ड देना होगा। यह राशि 2.00 रू. प्रतिदिन है।
5. ग्रंथालय कार्ड खो जाने या नष्ट होने पर 10.00 रू. आर्थिक दण्ड देने पर दुबारा बनाया जायेगा।
6. वह आचरण कदापि क्षम्य नहीं होगा कि महाविद्यालय में उपस्थित न होने पर ग्रंथालय पुस्तकें लौटाने में विलम्ब हो रहा है। यदि निर्धारित तिथि को छुट्टी हो तो आगामी कार्य दिवस में ग्रंथालय मे पुस्तक जमा करना होगा।
7. पुस्तक के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर विद्यार्थी का दायित्व होगा कि वे उस पुस्तक की नई प्रति ग्रंथालय में जमा करें यदि ऐसा नहीं करते तो उसे ग्रंथ की कीमत के साथ आर्थिक दण्ड देना होगा जो प्राचार्य द्वारा उसी समय निर्धारित किया जायेगा।
8. प्राचार्य को विशेषाधिकार है कि वह किसी विद्यार्थी को ग्रंथ प्राप्त करने से निषिद्ध कर सकता है। ग्रंथालय का प्रत्येक ग्रंथ विद्यार्थियों की निधि है और इसकी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी.पी.एल. के छात्र/छात्राओं के लिए बुक बैंक की सुविधा है।

वाचनालय (Reading Room)

1. पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन किया जा सकता है।
2. किसी पत्र पत्रिका या पाक्षिक पत्रों को ग्रंथालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

3. किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाने पर पूरी पूर्ति विद्यार्थियों को करनी पड़ेगी।
4. पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियॉ ग्रंथालय की अनुमति से प्राप्त हो सकेगी। एक समय में एक ही प्रति मिलेगी।
5. वाचनालय और ग्रंथालय में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना अनिवार्य है।
6. छात्र/छात्राऍ शालीन वेशभूषा में आएंगें।

परिचय पत्र –

प्रत्येक छात्र–छात्राओं के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना अनिवार्य है। छात्र/छात्राऍ अपने परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें। सामान्यतः परिचय पत्र दोबारा नहीं दिये जाते। विशेष परिस्थिति में परिचय पत्र खो जाने पर शपथ–पत्र के आधार पर दोबारा दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए –

छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत एवं सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन में पूरी (रियायत केवल प्रथम स्नातक स्तर तक) तथा सभी वर्गों के मृत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों का अध्ययन शुल्क में पूरी रियायत प्रदान की जावेगी। यदि छात्र प्रवेश के समय शुल्क रियायत हेतु आवेदन जमा नहीं करेगा तो उसे उससे शुल्क ले लिया जावेगा जो वापस नहीं होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को सुविधा –

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण शुल्क में छुट एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क में रियायत एवं प्रवेश के लिए शासन के नियमानुसार छुट की व्यवस्था है। छुट प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बी.पी.एल. छात्रों को सुविधा –

गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं को बुक बैंक की सुविधा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए।

छात्रवृत्तियॉ / शिष्यवृत्तियॉ –

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित छात्राओं को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियॉ व शिष्यवृत्तियॉ प्रदान की जाती है जिनका ब्यौरा सूचना फलक पर लगा दिया जाता है। इच्छुक छात्राऍ पात्रतानुसार अपने आवेदन / ऑनलाईन आवेदन निर्धारित तिथि के पहले भरकर महाविद्यालय के कार्यालय समस्त आवश्यक दस्तावेजो सहित जमा करेंगे। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है। छात्रवृत्ति के नियमानुसार केवल एक ही छात्रवृत्ति लेने की पात्रता है।
2. आवेदन–पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में स्वयं अपने जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर भी यदि कोई छात्र उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र नहीं देता है तो इन लाभों से वंचित रह जावेगा।

टीप :–

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यतानुसार सूचना के अनुसार भेजे जाते है। इन आवेदन–पत्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से संचालक, उच्च शिक्षा को भेजे जाने चाहिए।

शारीरिक प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा –

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शारीरिक कल्याण मण्डल द्वारा अनुमोदित शारीरिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका शुल्क भी छात्र / छात्राओं को जमा करना अनिवार्य है।

आवश्यक सूचनाएँ –

1. प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विवरण पुस्तिका का भलीभॉति से अध्ययन कर महाविद्यालय के नियमों से परिचित हो जावें और तदानुसार आचरण करें।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए प्रवेश कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।
3. महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम समय–समय पर प्रकाशित किए जावेंगे, अतएव प्रत्येक विद्यार्थी सूचना फलक पर अपना विशेष ध्यान रखें।
4. प्राचार्य के आदेश पर कोई भी परिवर्तन किए जा सकते है जो शासकीय दिशा निर्देशों पर निर्देशित है।
5. महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखे।

––––––––––––000––––––––––––